(5)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 03/2018 (आरसीएमएस संख्या : 2018/00013)
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

भागचन्द पि0मु0 गैन्दीलाल, जाति–महाजन, निवासी–रूपाहेडी कलां, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर। (मृतक)
1/1 संजय पाटनी पुत्र स्व0 श्री भागचन्द, जाति–महाजन, निवासी–रूपाहेडी कलां, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–
1. पेरोकार सरकार।
2. बनवारी लाल कुमावत, अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से। वरवक्त बहस अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 27.11.2019

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम रूपाहेड़ी की आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी तलाई दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2021 में खसरा नम्बर 342 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा परिवर्तित होकर गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है और जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 में भागचन्द की खातेदारी में दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में दर्ज गैर–मुमकिन तलाई आराजी की निजी खातेदारी नहीं दी जा सकती। अतः खारिज फरमाई जावे। तहसीलदार, चाकसू के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दिनांक 03.05.2008 स्वीकार करते हुए प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल को भिजवाने के आदेश दिये गये इसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की आज्ञा दिनांक 08.11.2017 द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को आवंटन/नियमन कब की गई इसका निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और मौका रिपोर्ट भी तलब नहीं की गई है, अतः पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाये।

तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल की आज्ञा दिनांक 08.11.2017 के अनुसरण में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत किया गया है जिसे दर्ज

कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बहस समाअत की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम रूपाहेड़ी की आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी तलाई दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2021 में खसरा नम्बर 342 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा परिवर्तित होकर गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है इसमें से 02 बिस्वा आराजी गैंदीलाल पुत्र चांदूलाल, जाति–जैन को आवंटन होने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या 160 आवंटी गैंदीलाल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2029–2032 में दर्ज रिकार्ड है। आवंटी की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में संजय पाटनी के नाम से जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी सिवायचक बिला लगानी तलाई नियमों के विपरीत आवंटित की जाकर खातेदारी दर्ज की गई है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी संजय पाटनी के नाम खातेदारी दर्ज है। विवाद–ग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन तलाई दर्ज है। एकीकरण में भी गैर–मुमकीन तलाई दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन/नियमन/हक खातेदारी हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम, 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम /नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत सिवायचक बिला लगानी तलाई भूमि की निजी खातेदारी दर्ज की गई है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी

भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम रूपाहेडी की आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी तलाई दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2021 में खसरा नम्बर 342 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा परिवर्तित होकर गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है इसमें से 02 बिस्वा आराजी गैंदीलाल पुत्र चांदूलाल, जाति–जैन को आवंटन होने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या 160 आवंटी गैंदीलाल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में अप्रार्थी संजय पाटनी के नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज सिवायचक बिला लगानी तलाई व एकीकरण सम्वत् 2021 में दर्ज गैर–मुमकिन तलाई को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन तलाई दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2004–2023 से होती है और इस आराजी का आवंटन गैंदीलाल पुत्र चांदूलाल, जाति–जैन को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033–36 ग्राम–रूपाहेडी से होती है। खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या–287 स्वीकार किया गया है, जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत् 2033–2036 पर अंकित है। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में निजी खातेदारी दर्ज है। तहसीलदार, कोटखावदा ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/18/3977 दिनांक 29.10.2018 में वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1039 हे. किस्म बंजड में बाड़ा बना हुआ है और जलाऊ–ईंधन डला हुआ है एवं आराजी ख0नं0 1040 रकबा 0.01 हे. किस्म गै0मु0 पाल होना एवं गै0मु0 पाल के रूप में काम में आ रही होना अंकित किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सिवायचक बिला लगानी तलाई की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत सिवायचक बिला लगानी तलाई भूमि का आवंटन

कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार सिवायचक बिला लगानी तलाई भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामत: उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त खसरा नम्बर 825 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी तलाई दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2021 में खसरा नम्बर 342 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा परिवर्तित होकर गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है इसमें से 02 बिस्वा आवंटित आराजी गैंदीलाल पुत्र चांदूलाल, जाति–जैन को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन तलाई दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 28.01.2020 को प्रात: 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.11.2019 को सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर